

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.05.2019

थाना फुरसतगंज पुलिस व आबकारी टीम द्वारा कुल 175 पेटियों में लगभग 1544.4 ली० अवैध विदेशी शराब, (कुल कीमत लगभग 11.79 लाख) व 01 अदद बोलेरो पिकअप गाड़ी के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री राजेश कुमार के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री दयाराम के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री राजकुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के विक्रय एवं निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.05.2019 को संदीप कुमार राय थानाध्यक्ष फुरसतगंज व आबकारी निरीक्षक मय हमराह की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र फुरसतगंज के रायबरेली सुल्तानपुर रोड पर डिघिया बार्डर पर वाहन चेकिंग कर रहे थे कि समय लगभग 10.35 बजे पूर्वाह्न 01 बोलेरो पिकअप संख्या यूपी 78 डीएन 3945 जो रायबरेली की तरफ से तेजी से आती दिखाई दी जिसे रोक कर चेक किया गया तो उक्त बोलेरो पिकअप विदेशी मदिरा से भरी थी । चालक का नाम पूछने पर रविन्द्र तथा साथ में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक राठौर बताया । आबकारी निरीक्षक द्वारा अभिलेखों की जांच करने पर वाहन चालक द्वारा दिखाए गए अभिलेख सही नहीं पाये गये । पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही व बरामदगी का विवरण निम्नवत है-

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रविन्द्र पुत्र रामबहादुर ।
2. दीपक पुत्र रविन्द्र ।

नि०गण ग्राम सिलौला बुजुर्ग थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही –

मु०अ०स०56/19 धारा 60/63 व 72 आबकारी अधिनियम थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

1. 175 पेटियों में लगभग 1544.4 ली० अवैध विदेशी शराब, (कुल कीमत लगभग 11.79 लाख) ।
2. 01 अदद बोलेरो पिकअप गाड़ी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. संदीप कुमार राय थानाध्यक्ष फुरसतगंज जनपद अमेठी ।
2. आबकारी निरीक्षक कमलेश चन्द जनपद अमेठी ।
3. का० हरिश्चन्द्र पाल थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।
4. का० सूरज पाण्डेय थाना फुरसतगंज जनपद अमेठी ।
5. का० अनिल कुमार वर्मा आबकारी जनपद अमेठी ।
6. का० छिटईराम आबकारी जनपद अमेठी ।